सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
हरियाणा,चण्डीगढ़

प्रस्तावना

'लेखे एक दृष्टि में', जो कि श्रृंखला में उन्नीसवां है, विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है ।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 खण्ड-।। के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है ।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं । वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार हैं । विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और वास्तविक व्यय तथा अनुमोदित प्रावधानों के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्यानों को दर्शाता है ।

यह वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है । सूचनाओं को आसानी से समझने के लिए, संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विशलेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । हरियाणा सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित ' लेखे एक दृष्टि में ' का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा ।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है।

नमिता सेखों

चण्डीगढ़
05 दिसम्बर, 2017

(नमिता सेखों)
प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का **परिदृश्य** यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोचित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

हमारा **उद्देश्य** वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है ।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पणधारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है ।

हमारे **अन्तर्मूल्य**, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते है ।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनियता
- व्यवहारिक उत्कृष्ता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

विाय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**परिदृश्य**	
1.1	परिचय	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे और विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के स्त्रोत एंव उपयोग	4
1.5	लेखों के मुख्य अंश	7
1.6	घाटे एवं अधिशेा क्या दर्शातें हैं ?	8
अध्याय 2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11
2.3	प्राप्तियों के रूझान	13
2.4	राज्य के स्वंय के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	15
2.5	कर संग्रह की कार्य कुशलता	15
2.6	पिछलें 5 वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान	16
2.7	सहायतानुदान	16
2.8	लोक ऋण	17
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	परिचय	18
3.2	राजस्व व्यय	18
3.3	पूंजीगत व्यय	20
अध्याय 4	**योजनागत और गैर योजनागत व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2016-17)	22
4.2	योजनागत व्यय	22
4.3	गैर योजनागत व्यय	23
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	25
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे 2016-17 का सारांश	26
5.2	पिछलें 5 वर्षो का बचत और आधिक्य का रूझान	26
5.3	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	27
5.4	महत्वपूर्ण बचत	28

पृष्ठ

अध्याय 6	**परिसम्पत्तियाँ और दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	29
6.2	ऋण और दायित्व	30
6.3	गारटिंयां	31
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1	राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम	32
7.2	स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तिय सहायता	32
7.3	व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान	33
7.4	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	33
7.5	सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन	34
7.6	वैयक्तिक जमा खाते	34
7.7	लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति	35
7.8	अपूर्ण लोक लोक निमार्ण कार्यो की बचनबद्धता	35
7.9	आरक्षित निधियॉ	35
7.10	नई पेंशन स्कीम	38
7.11	उचन्त तथा प्रेषण शेष	39
7.12	व्यय की हडबडी	39
7.13	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)	40

अध्याय 1 - परिदृश्य

1.1. परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये संकलन, 22 जिला कोषागारों, 113 लोक निर्माण मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 57 वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं । इस संकलन के उपरांत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

1.2. सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

भाग I **समेकित निधि**	**राजस्व व पूंजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय ।**
भाग II **आकस्मिक निधि**	**बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु । इस निधि से व्यय की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है ।**
भाग III **लोक लेखा**	**ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन । ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शातें हैं । अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं । प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती है जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है ।**

1.2.2. लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र

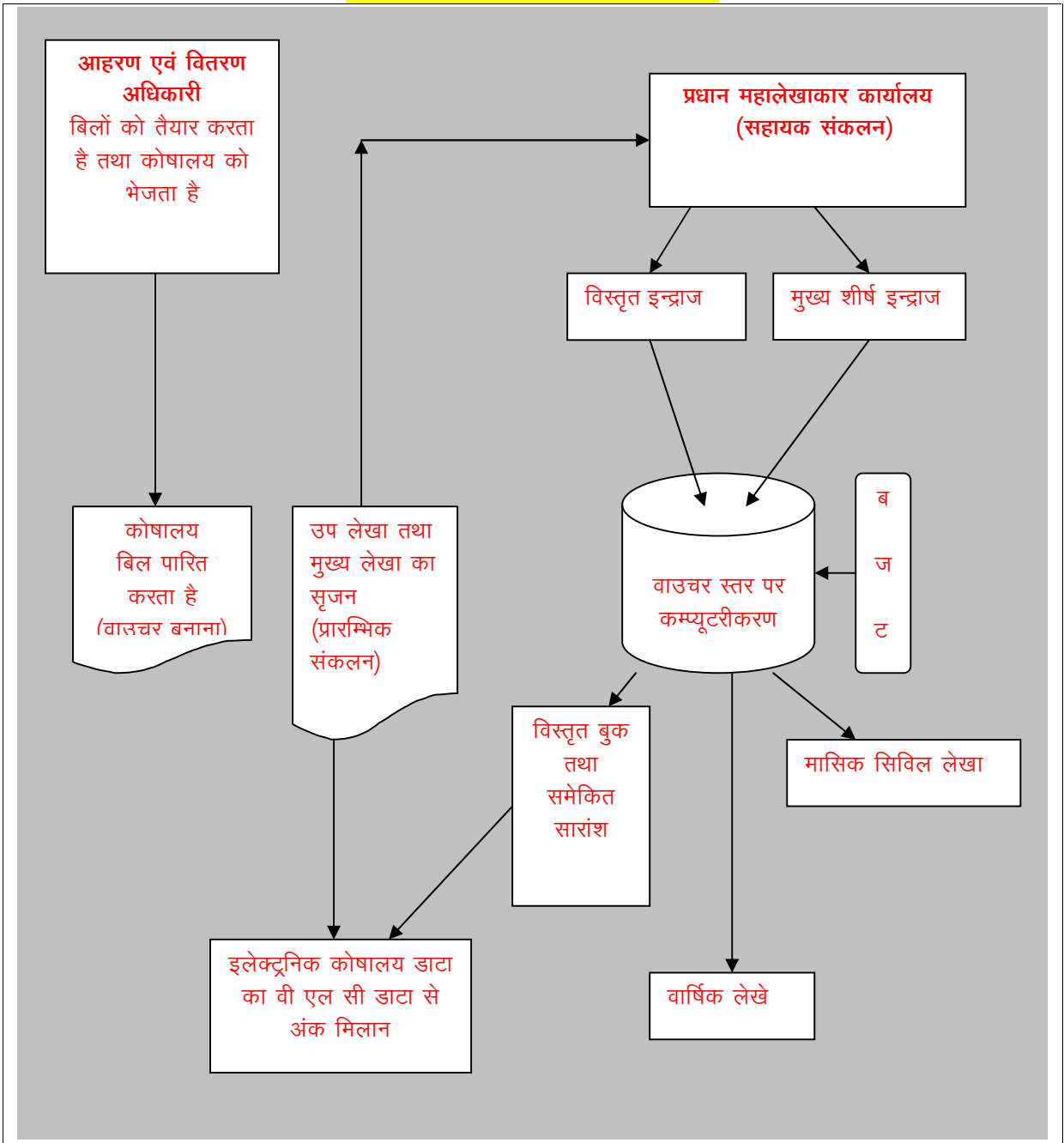

1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूंजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की वार्षिक प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं । वित लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में तैयार किया गया है । खण्ड । में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं । खण्ड ।। में विस्तृत विवरणियां (भाग- I) व परिशिष्ट (भाग- II) शामिल हैं ।

वित्त लेखे 2016-17 में दिखाये गये हरियाणा सरकार की प्राप्तियों व संवितरण् निम्न लिखित है :

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 79,781)	**राजस्व (कुल: 52,497)**	कर राजस्व	**40,623**
		कर रहित राजस्व	**6,196**
		सहायतानुदान	**5,678**
	पूंजीगत (कुल: 27,284)	पूंजीगत प्राप्तियाँ	**26**
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	**973**
		उधार व अन्य दायित्व*	**26,285**
संवितरण (कुल: 79,781)	**राजस्व**		**68,403**
	पूंजीगत		**6,863**
	ऋण तथा अग्रिम		**4,515**

* **उधार व अन्य दायित्वः लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल** (₹22,894 करोड़) **+ आकस्मिकता निधि का निवल**(-) **+ लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल** (₹4,551 करोड़) **+ आरभिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल** (-₹1,160 करोड़) ।

भारत सरकार के कार्यान्वित अभिकरणों को निधियां सीधे तौर पर जारी न करने के निर्णय के बावजूद, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतू कार्यान्वित अभिकरणों/ गैर सरकारी संस्थानों को निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित की गई । वर्ष 2016-17 के दौरान सीधे तौर पर कार्यान्वित अभिकरणों को ₹1,484 करोड़ जारी किये जो वर्ष 2015-16 में जारी निधि (₹919 करोड़) से 61 प्रतिशत ज्यादा हैं । चूकिं ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गई । ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में दर्शाये गये हैं ।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरूद्ध राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं । इस में 46 अनुदान हैं ।

विनियोग अधिनियम 2016-17 में, ₹ 3,872 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान ₹ 1,12,659 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है । व्यय की कमी से वसूलियों के लिए ₹ 10,329 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी । विनियोग लेखे 2016-17, कुल प्रावधान ₹ 1,12,659 करोड़ के विरूद्ध ₹ 93,070 करोड़ के संवितरण को दर्शातें हैं । परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरूद्ध ₹ 19,589 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 8,012 करोड़ की व्यय में कमी से संबंधित वसूलियां बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2,317 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं ।

1.4. निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिसमापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब अधिविकर्ष की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2016-17 के दौरान हरियाणा सरकार ने अर्थोपाय पेशगी नहीं प्राप्त की।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 15,906 करोड़ का राजस्व घाटा (उदय सहित) और ₹ 26,285 करोड़ का राजकोषीय घाटा (उदय सहित) था जो सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी)[1] का क्रमशः 2.91 प्रतिशत एवं 4.80 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 33 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण एवं लोक लेखे से की गयी । राज्य की लगभग 62 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹52,497 करोड़) प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 16,310 करोड़) ब्याज भुगतान (₹10,542 करोड़) एवं पेंशन (₹5,659 करोड़) पर खर्च हुई।

[1] सिवाय जहां अन्यथा दर्शाया गया हो, इस प्रकाशन में उपायोजित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े, अर्थ एवं साख्यांकी विशलेषण विभाग, हरियाणा से लिए गए हैं ।

निधियों के स्त्रोत और उपयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्त्रोत	01 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-)733
	राजस्व प्राप्तियां	52,497
	पूंजीगत प्राप्तियां	26
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	973
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां सहित)	28,170
	अल्प बचतें, भविष्य निधि और अन्य	3,034
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	1,929
	जमा प्राप्तियां	19,488
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	9
	उचन्त लेखे	98,133
	प्रेषण	7,134
	आकस्मिकता निधि	80
	कुल	**2,10,740**
उपयोग	राजस्व व्यय	68,403
	पूंजीगत व्यय	6,863
	प्रदत्त ऋण	4,515
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां सहित)	5,276
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	80
	अल्प बचतें, भविष्य निधि और अन्य	1,919
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	283
	जमा व्यय	19,490
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	9
	उचन्त लेखे	96,398
	प्रेषण	7,077
	31 मार्च 2017 को अंतिम रोकड़ शेष	427
	कुल	**2,10,740**

1.4.3. रूपये का आवक स्थान

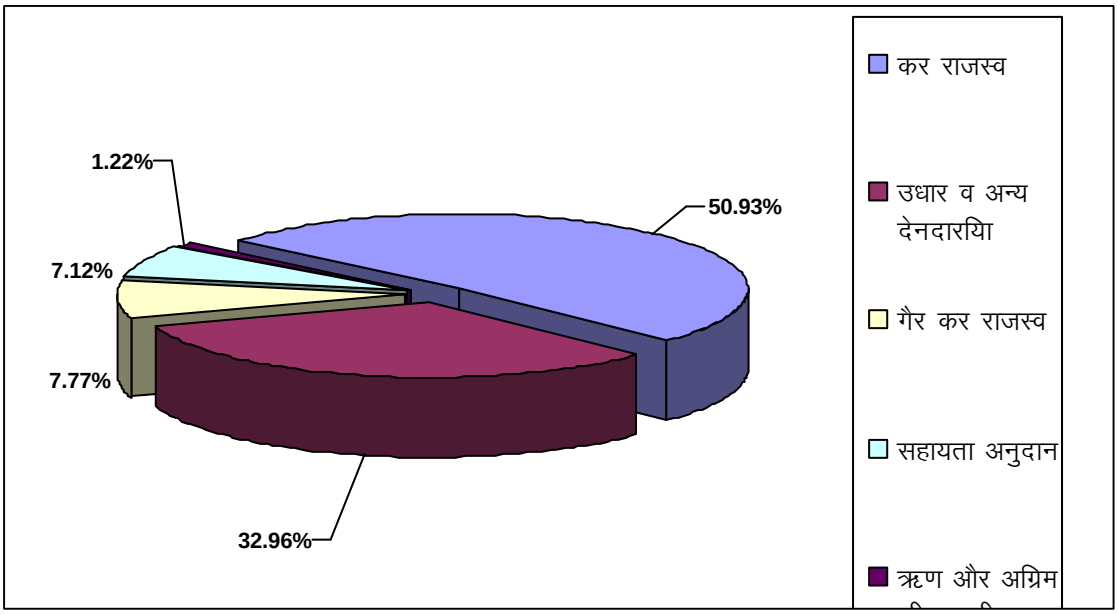

1.4.4. रूपये का जावक स्थान

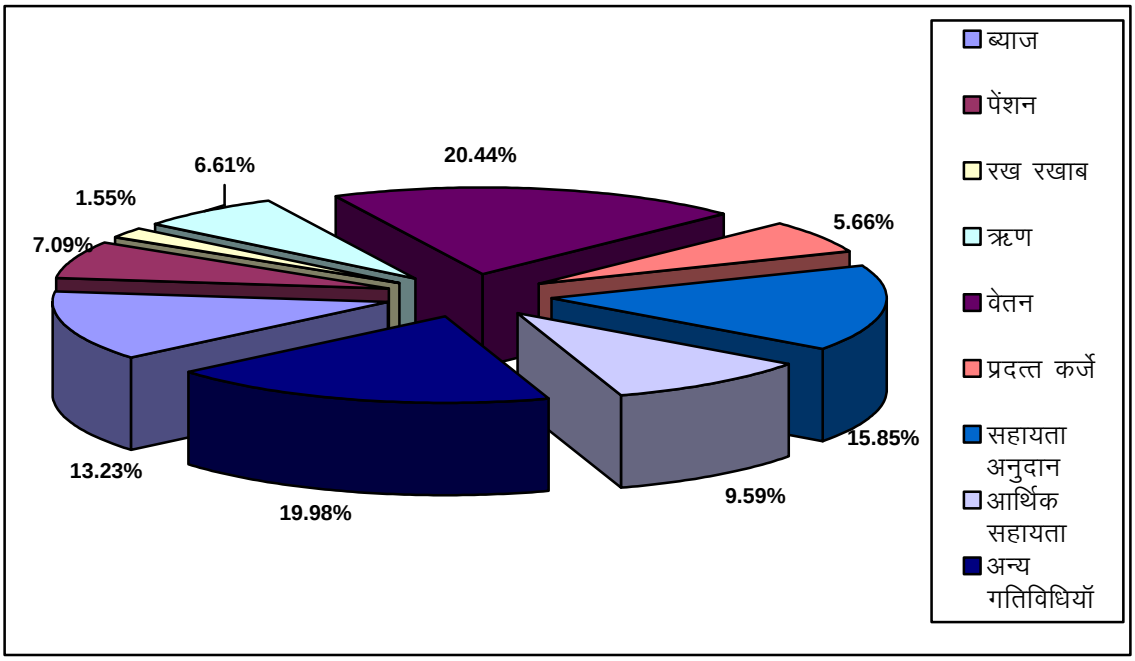

1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

1	घटक	बजट अनुमान 2016.17	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता ($)
1	कर राजस्व @	46,388	40,623	88	7
2	कर भिन्न राजस्व	8,309	6,196	75	1
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	8,259	5,678	69	1
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	62,956	52,497	83	10
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	688	973	141	..
6	अन्य प्राप्तियां	22	26	118	..
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	25,116	26,285	105	5
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	25,826	27,284	106	5
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	88,782	79,781	90	15
10	योजनेत्तर व्यय	48,459	46,588	96	9
11	राजस्व लेखे पर योजनेत्तर व्यय	48,483	46,284	95	8
12	मद संख्या 11 में से ब्याज के भुगतान पर योजनेत्तर व्यय	10,490	10,542	100	2
13	पूंजीगत लेखे पर योजनेत्तर व्यय	(-)24	304	..	..
14	योजनागत व्यय	35,594	28,678	81	5
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	26,753	22,119	83	4
16	पूंजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	8,841	6,559	74	1
17	कुल व्यय (10+14)	84,053	75,266	90	14
18	राजस्व व्यय (11+15)	75,236	68,403	91	12
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	8,817	6,863	78	1
20	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	4,729	4,515	95	1
21	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-18)	(-)12,280	(-)15,906	130	3
22	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17-20)	(-)25,116	(-)26,285	105	5

(@) ₹ 6,597 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।

($) ₹ 5,47,396 करोड़ जी.एस.डी.पी. वर्तमान दरों पर अर्थ एवं साख्यांकी विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित ।

(क) उधार तथा अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखे + रोकड का आरभिक व अंतिम शेष का निवल

1.6 घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?

घाटा	**राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है ।**
राजस्व घाटा/अधिशेष	**राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है । राजस्व व्यय, सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा आदर्श रूप से यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही होना चाहिए ।**
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	**कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता हो । यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता है कि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।**

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन, सरकार की राज कोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदंड हैं । हालांकि राज्य सरकार द्वारा, चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओ के अनुरूप अपने राज कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित नहीं किया है, तथापि विभिन्न लक्ष्यों पर राज्य सरकार की प्राप्तियॉ निम्न प्रकार है (उदय के अन्तर्गत उठाए गए ऋण, वित्तीय घाटा गणना के लिए नहीं लिए गए):

क्र0सं0	लक्ष्य	लेखों के अनुसार उपलब्धि
1	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व घाटा (उदय के बिना) शून्य होना	लेखाओं के अनुसार हरियाणा सरकार 2015-16 में ₹7,786.65 करोड़ (उदय के अन्तर्गत ₹3,892.50 करोड़ व्यय के बिना) एवं 2016-17 में ₹12,014.11 करोड़ (उदय के अन्तर्गत ₹3,892.50 करोड़ व्यय के बिना) राजस्व घाटे में थी। हरियाणा सरकार के लेखे वर्ष 2008-09 से लगातार राजस्व घाटा दिखा रहे हैं।
2	वित्त वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा (उदय के बिना) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों का 3.25 प्रतिशत से अधिक न होना	लेखाओं के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.88 प्रतिशत ₹14,179.51 करोड (उदय के अन्तर्गत ₹17,300.00 करोड़ व्यय : राजस्व व्यय ₹3,892.50 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹1,297.50 करोड़, ऋण व अग्रिम व्यय ₹12,110.00 करोड़ के बिना) एवं 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 3.22 प्रतिशत ₹17,635.12 करोड़ (उदय के अन्तर्गत ₹8,650.00 करोड़ व्यय : राजस्व व्यय ₹3,892.50 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹1,297.50 करोड़, ऋण व अग्रिम व्यय ₹3,460.00 करोड़ के बिना) राजकोषीय घाटा दिखाया।
3	2016-17 में ऋण भण्डार (उदय के बिना) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.91 प्रतिशत से अधिक न होना	31 मार्च 2017 को राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹1,24,602.73 करोड़, जोकि वर्ष 2016-17 की सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 22.76 प्रतिशत है, था। इसमें उदय के अन्तर्गत ₹25,950.00 करोड़ सम्मलित हैं। उदय के बिना बकाया ऋण (₹98,652.73 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 18.02 प्रतिशत था।

* वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद= ₹ 5,47,396 करोड़ जैसी कि अर्थ एवं साख्यांकी विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित की गई

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रूझानः

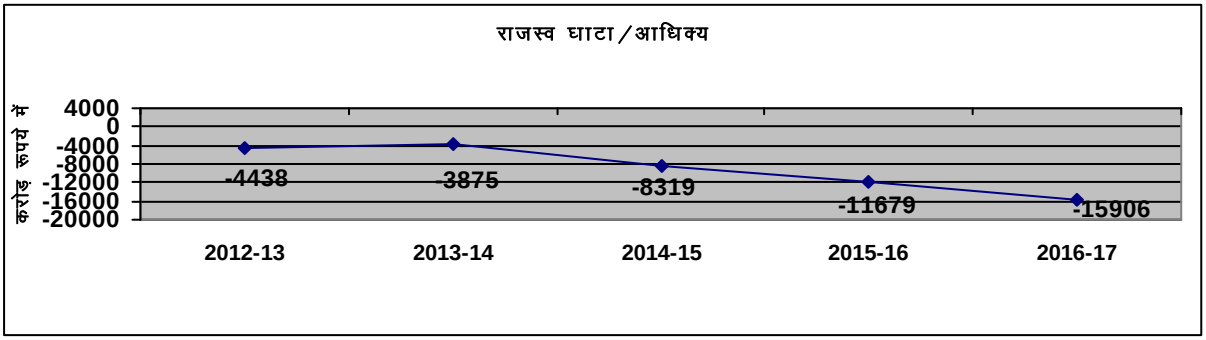

1.6.2 राजकोषीय घाटे के रूझानः

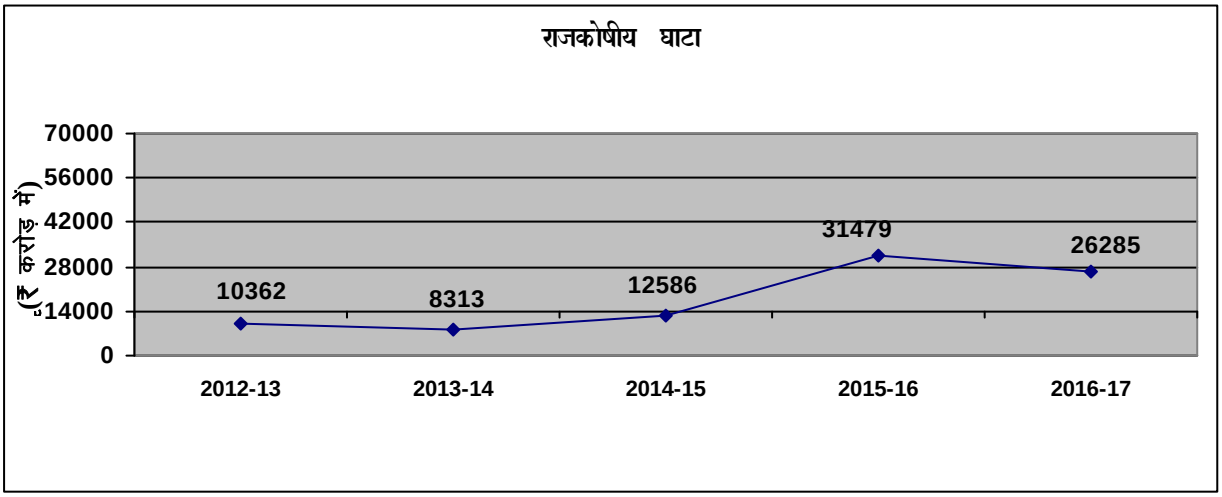

1.6.3 उधारी से पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई राशि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधारी	पूंजीगत व्यय
2012-13	15,560	5,762
2013-14	17,713	3,935
2014-15	18,859	3,716
2015-16	37,998	6,908
2016-17	28,170	6,863

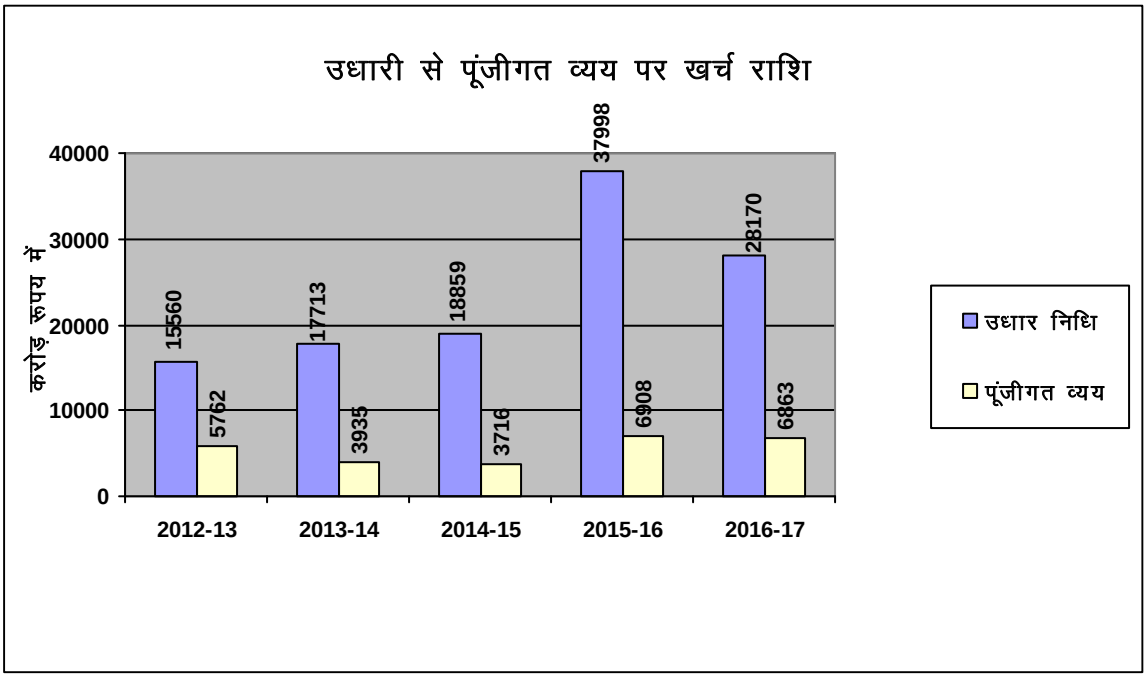

यह वांछनीय है कि उधार ली गई रकम का उपयोग, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए तथा राजस्व् प्राप्तियों का उपयोग, मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए किया जाए । बहरहाल, राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹28,170 करोड़) का केवल 24 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹6,863 करोड़) पर तथा 16 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम (₹4,515 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 60 प्रतिशत (₹16,792 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹5,276 करोड़) और ब्याज के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय 2 - प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2016-17 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 79,781 करोड़ रही ।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर एवं संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा इसके अन्तर्गत आते है ।
कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संध सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें बाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशी सरकारों से प्राप्त हुए हैं तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रदान किये गये हैं भी शामिल है । बदले में, राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं, स्वायत संस्थाओं आदि को सहायता अनुदान देती है।

2.2.1 राजस्व प्राप्ति के घटक (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े	राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता
क. कर राजस्व *	**40,623**	**77**
आय और व्यय पर कर	3,591	7
सम्पति और पूंजीगत लेन-देन पर कर	3,303	6
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	33,729	64
ख. कर भिन्न राजस्व	**6,196**	**12**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	2,316	4
सामान्य सेवायें	319	1
सामाजिक सेवायें	1,455	3
आर्थिक सेवायें	2,106	4
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	**5,678**	**11**
कुल-- राजस्व प्राप्तियाँ	**52,497**	**100**

* इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मलत है ।

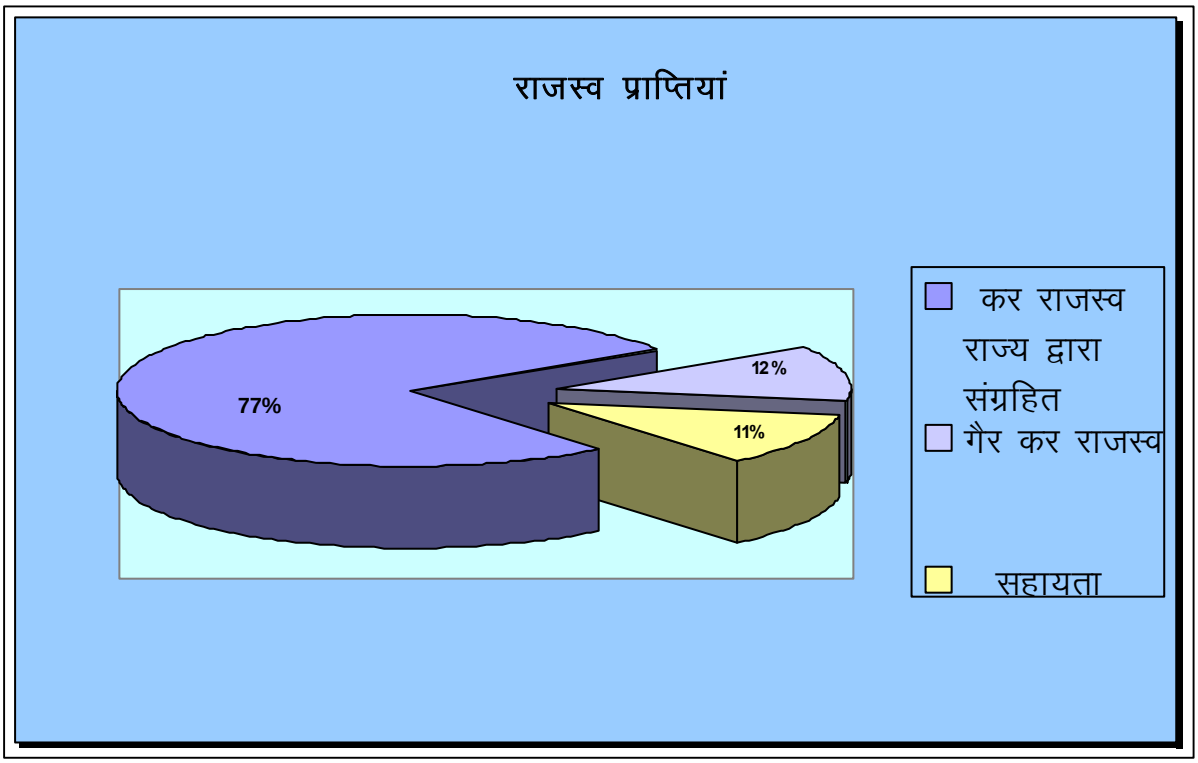

2.2.2 कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक	जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता
बिक्री कर	23,488	4.29
राज्य उत्पाद शुल्क	4,613	0.84
स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस	3,283	0.60
निगम कर	2,119	0.39
वाहनों पर कर	1,583	0.29
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,472	0.27
सेवा कर	1,050	0.20
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,041	0.19

वर्ष के दौरान निवल कर राजस्व, बजट अनुमानों से ₹5765 करोड (13 प्रतिशत)कम था ।

2.3. प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	23,559 (7)	25,567 (7)	27,635 (6)	30,929 (7)	34,026 (7)
संघ के शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,062 (1)	3,343 (1)	3,548 (1)	5,496 (1)	6,597 (1)
कर भिन्न राजस्व	4,673 (1)	4,975 (1)	4,613 (1)	4,753 (1)	6,196 (1)
सहायतानुदान	2,340 (1)	4,127 (1)	5,003 (1)	6,379 (1)	5,678 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	33,634 (10)	38,012 (10)	40,799 (9)	47,557 (10)	52,497 (10)
सकल राज्य घरेलू उत्पादन	3,53,440	3,83,911	4,35,310	4,92,657	5,47,396

नोटः कोष्ठकों में दए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत दर्शाते है।
वर्ष 2016-17 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े वर्तमान दरों पर अर्थ एवं साख्यांकी विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 11.11 प्रतिशत बढा तथा राजस्व संग्रहण में 10.39 प्रतिशात की वृद्धि हुई । पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व 11.53 प्रतिशत तथा कर भिन्न राजस्व 30.36 प्रतिशत बढज्ञा जबकि सहायता अनुदान में 10.99 प्रतिशत की कमी आई

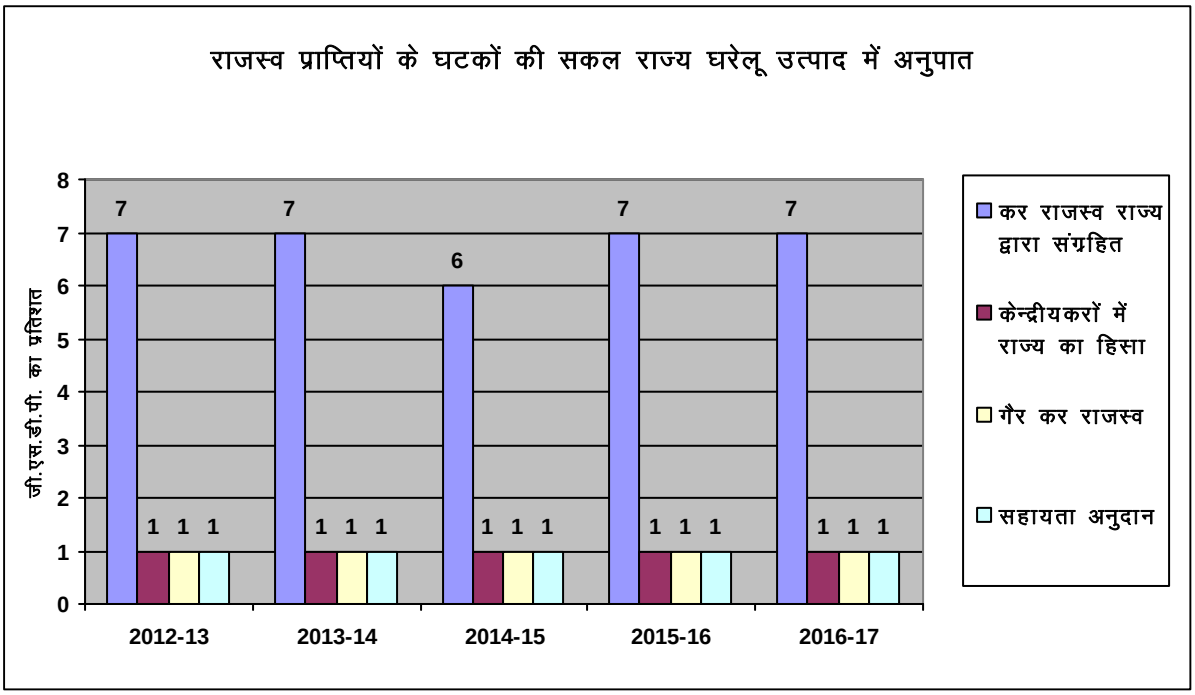

क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क. आय और व्यय पर कर	1,759 (1)	1,865 (1)	2,124 (0)	2,938 (0)	3,591 (1)
ख. सम्पति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	3,341 (1)	3,218 (1)	3,127 (1)	3,207 (1)	3,303 (0)
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	21,521 (6)	23,827 (6)	25,932 (6)	30,280 (6)	33,729 (6)
कुल कर राजस्व	**26,621 (8)**	**28,910 (8)**	**31,183 (7)**	**36,425 (7)**	**40,623 (7)**
सकल राज्य धरेलू उत्पादन	**3,53,440**	**3,83,911**	**4,35,310**	**4,92,657**	**5,47,396**

नोटः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत को दर्शाते है।

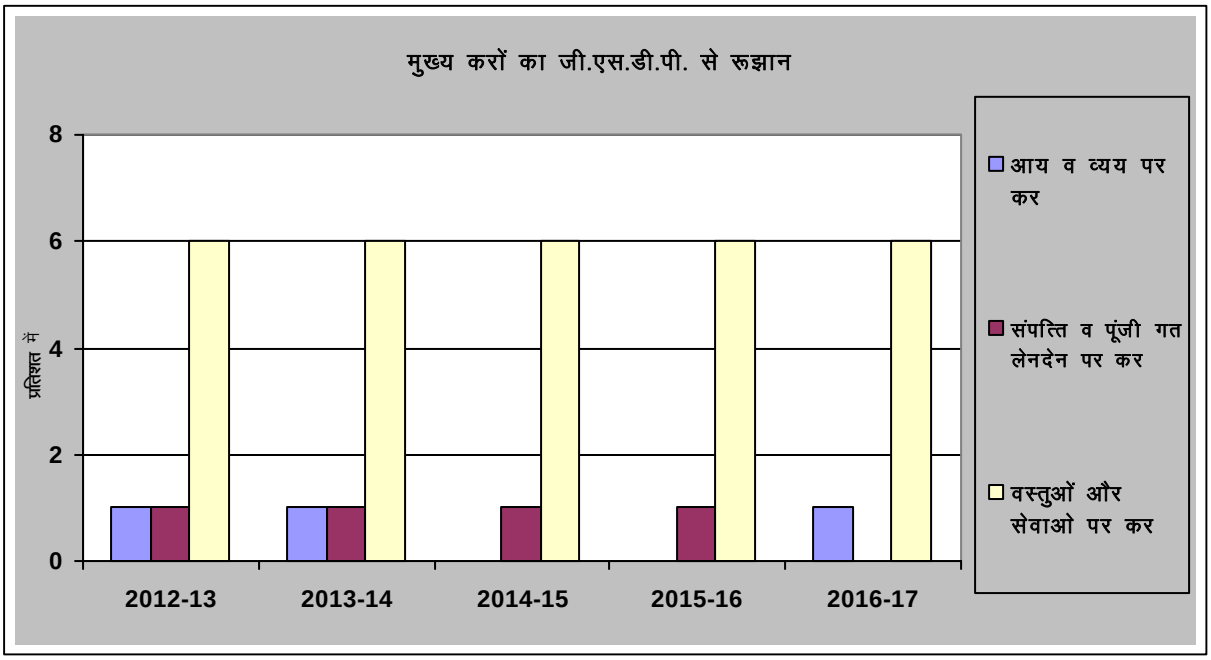

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों से राज्य का हिस्सा	राज्य का अपना कर राजस्व	
				सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-13	26,621	3,062	23,559	7
2013-14	28,910	3,343	25,567	7
2014-15	31,183	3,548	27,635	6
2015-16	36,425	5,496	30,929	7
2016-17	40,623	65,97	34,026	7

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. सम्पति और पूंजीगत लेन-देन पर कर

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रह	3,341	3,218	3,127	3,207	3,303
संग्रह पर व्यय	131	140	164	176	180
कर संग्रह में कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	4	4	5	5	5

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रह	21,521	23,827	25,932	30,280	33,729
संग्रह पर व्यय	139	146	170	184	211
कर संग्रह के कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	1	1	1	1	1

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है । कर संग्रहण की कार्यकुशलता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले 5 वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगम कर	1,100	1,125	1,239	1,733	2,118
आय पर निगम कर से भिन्न कर	659	740	885	1,205	1,472
सम्पति पर कर	2	3	3	1	5
सीमा शुल्क	509	546	574	880	911
संघ उत्पाद शुल्क	345	385	324	733	1,041
सेवा कर	447	544	523	940	1,050
अन्य	..	..	..	4	--
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	**3,062**	**3,343**	**3,548**	**5,496**	**6,597**
कुल कर राजस्व	**26,621**	**28,910**	**31,183**	**36,425**	**40,623**
कुल कर राजस्व में संघ कर की प्रतिशतता	**12**	**12**	**11**	**15**	**16**

हरियाणा सरकार को वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, कुल कर राजस्व का 11 प्रतिशत से 16 प्रतिशत हिस्सा, सभी बांटने योग्य संघ कर की निवल आगम से प्राप्त हो रहा है ।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें नीती आयोग से स्वीकृत, राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, और राज्य वित्त आयोग से सिफारिश की गयी राज्य गैर योजनागत अनुदान शामिल है । वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता अनुदान के तहत, कुल प्राप्तियां ₹ 5,678 करोड़ थी जिन्हें प्रत्येक घटक की प्रतिशतता में नीचे दिखाया गया है :

वर्ष 2016-17 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के कुल सहायतानुदान 59 प्रतिशत से घट कर 54 प्रतिशत हो गयी जबकि वर्ष 2016-17 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सदारी, वर्ष 2015-16 के 41 प्रतिशत से बढ कर 46 प्रतिशत हो गयी ।

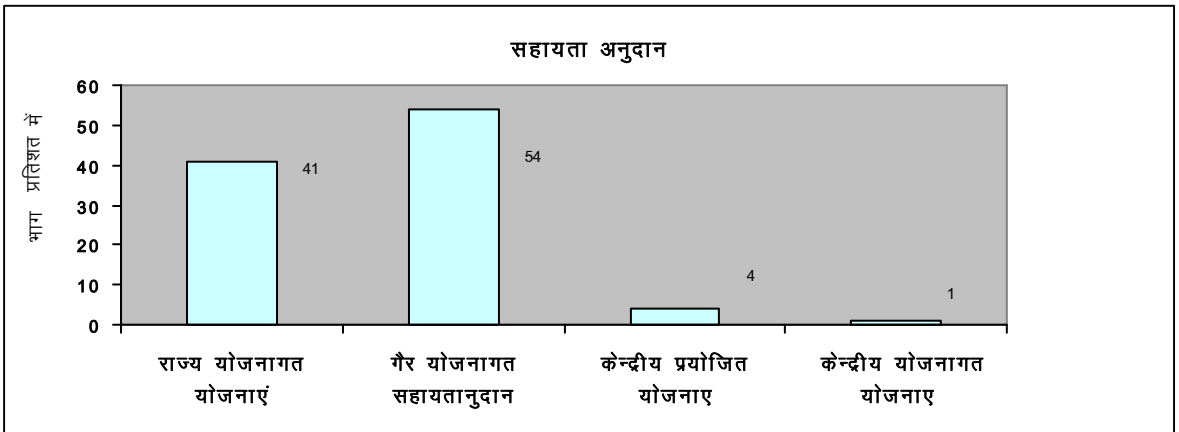

2.8 लोक ऋण

पिछले 5 वर्षो में लोक ऋण [निवल वृद्धि (+)/ कमी(-)] का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंतरिक ऋण	9,338	9,463	10,654	30,863	22,957
केन्द्रीय सरकार ऋण	(-)76	173	(-)23	(-) 79	(-) 63
कुल लोक ऋण (निवल)	9,262	9,636	10,631	30,784	22,894

नोट- नकारात्मक आंकडों से संकेत मिलता है कि पुर्नभुगतान, प्राप्तियों से अधिक है ।

वर्ष 2016-17 में 13 बाजार ऋण (कुल योग ₹ 15,800 करोड़) भिन्न ब्याज दरों 6.86 प्रतिशत से 7.98 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि वर्ष 2026-2027 में प्रतिदेय है, और जिससे ₹26 करोड़ प्रीमीयम प्राप्त हुआ। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण ₹ 28,047 करोड़ तथा इसी दौरान प्राप्त केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 123 करोड़, के विरूद्ध, पूंजीगत व्यय, केवल ₹ 6,863 करोड़ (24 प्रतिशत) तथा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम ₹4,515 करोड़ (16 प्रतिशत) दर्शाता है कि लोक ऋण का अधिकतर भाग गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अध्याय 3 - व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है । पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा इनकी उपयोगिता में वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है । व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है ।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई , सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 5 वर्षो के दौरान विनियोग लेखों के अनुसार, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है :

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अनुमानित बजट	43,098	48,999	56,953	70,365	79,284
वास्तविक	38,206	41,968	49,408	61,047	68,766
अन्तर	4,892	7,031	7,545	9,318	10,518
अनुमानित बजट से अन्तर का प्रतिशत	11	14	13	13	13

(स्रोत- संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे में राजस्व व्यय ₹ 68,766 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 10,518 करोड़ कम रहा ।

बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (17 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कुल राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत के लगभग वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर खर्च किया गया ।

पिछले 5 वर्षो के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	19,650	21,326	25,289	28,229	32,511
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	18,422	20,561	23,829	31,007	35,892

(स्रोत- संबंधित वर्ष के वित लेखे)

3.2.1 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2013-17)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामाजिक सेवाएं	14,516	15,414	19,120	21,539	25,473
आर्थिक सेवाएं	11,557	12,740	13,088	18,691	20,875
ऋण सेवाएं	4,955	5,850	6,928	8,547	10,542
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं के अतिरिक्त)	6,942	7,747	9,837	10,166	11,089

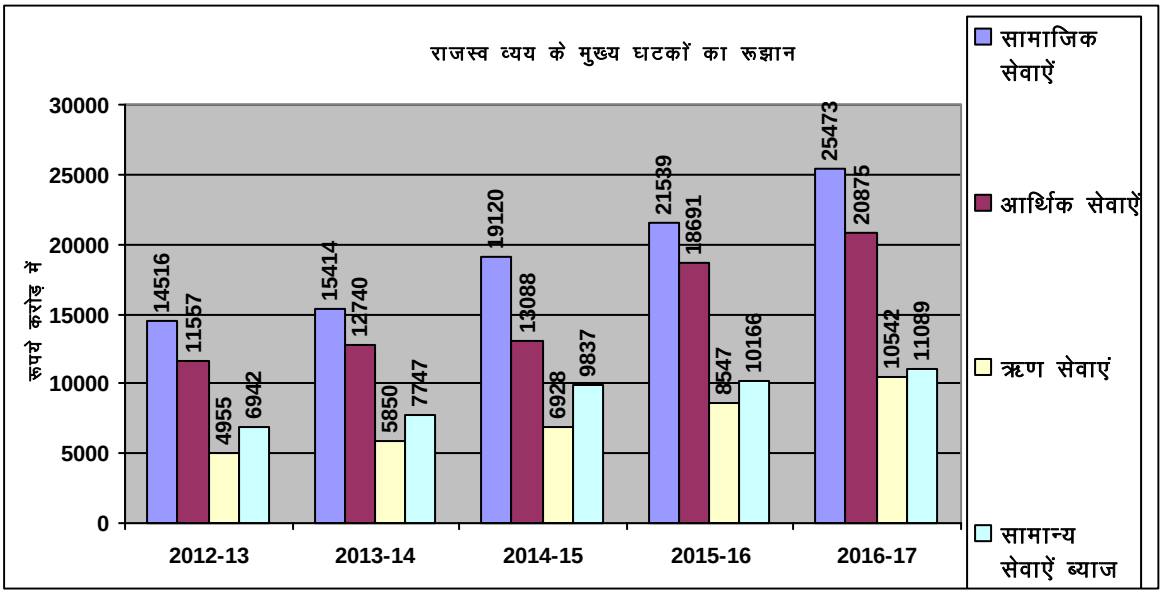

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2016-17)

(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	392	1
(i) सम्पति और पूंजी लेनदेन पर कर की वसूली	180	..
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	211	..
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	1	..
ख. राज्य के अंग	818	1
ग. ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	10,542	15
घ. प्रशासनिक सेवाएं	4,179	6
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	5,700	8
च. सामाजिक सेवाएं	25,473	37
छ. आर्थिक सेवाएं	20,875	31
ज. सहायतानुदान और अंशदान	424	1
कुल व्यय (राजस्व लेखा)*	68,403	100

* (शुद्ध: वसूलियां घटाने के बाद)

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 का पूंजीगत संवितरण ₹11,378 करोड़, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत था जो कि बजट अनुमान से ₹2,168 करोड़ कम था ।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 705 करोड़ खर्च किए (₹ 360 करोड़ मुख्य सिंचाई पर तथा ₹345 करोड़ मध्यम सिंचाई पर) और विभिन्न सांवधिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹2,025 करोड़ निवेश किए।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	399	3
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1,587	14
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	4,877	43
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	4,515	40
कुल		**11,378**	**100**

3.3.2 पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामान्य सेवाएं	251 (4)	282 (6)	291 (6)	460 (2)	399 (3)
सामाजिक सेवाएं	1,446 (23)	1,824 (39)	1,898 (42)	1,540 (8)	1,587 (14)
आर्थिक सेवाएं	4,065 (65)	1,829 (39)	1,527 (34)	4,908 (24)	4,877 (43)
ऋण और अग्रिम	522 (8)	775 (16)	843 (18)	13,250 (66)	4,515 (40)
कुल	**6,284**	**4,710**	**4,559**	**20,158**	**11,378**

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े, कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

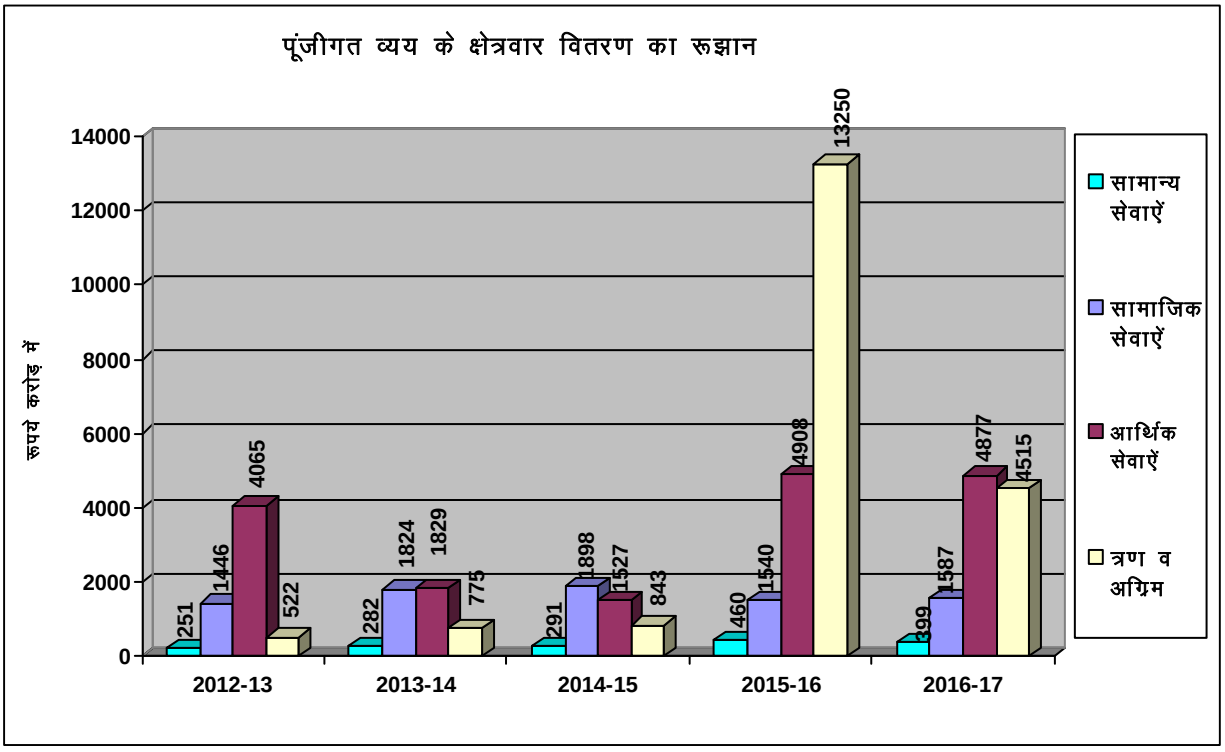

अध्याय 4 - योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2016-17)

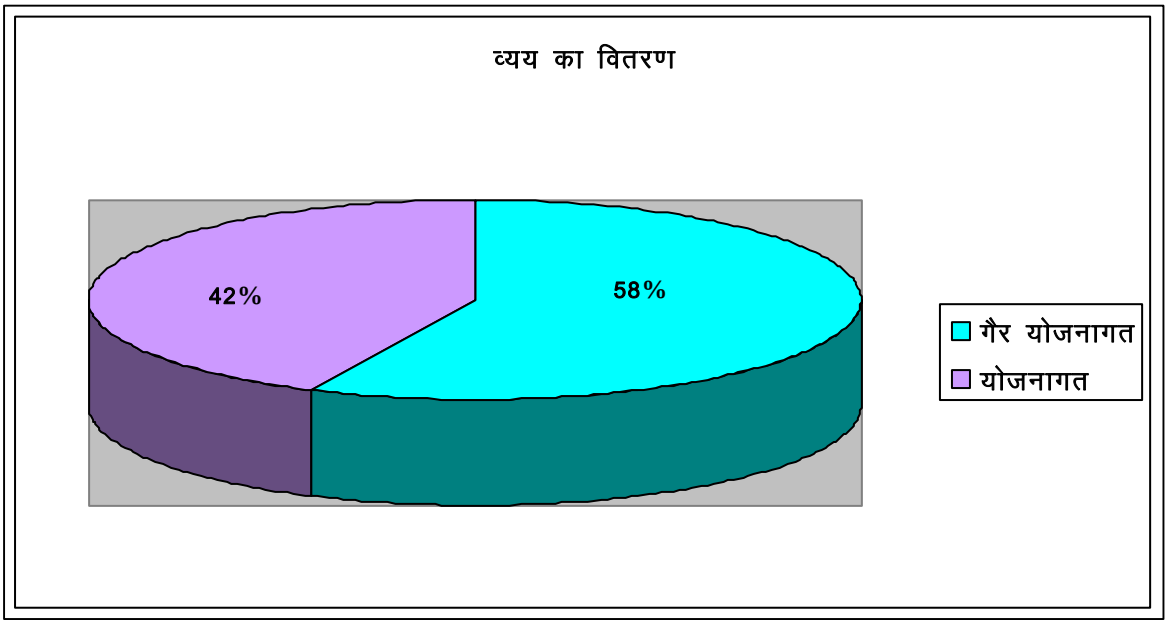

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 33,124 करोड़, (कुल संवितरण का 42 प्रतिशत), योजनागत व्यय (₹25,752 करोड़ राज्य योजनागत के अन्तर्गत, ₹ 2,926 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 4,446 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

4.2.1 योजनागत व्यय का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	44,356	46,597	53,677	79,394	79,781
योजनागत व्यय	13,931	15,712	18,144	38,160	33,124
कुल व्यय से योजनागत व्यय का प्रतिशत	31	34	34	48	42
सकल राज्य घरेलू उपाद से योजनागत व्यय का प्रतिशत	4	4	4	8	6

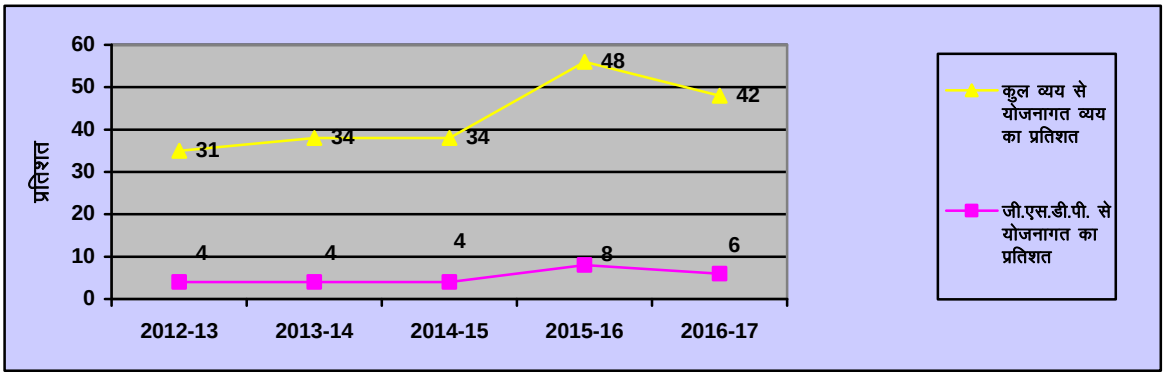

4.2.2 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल पूंजीगत व्यय	6,284	4,710	4,559	20,158	11,378
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	4,475	5,560	5,384	19,599	11,005
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) का प्रतिशत	71	118	118	97	97

4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹46,657 करोड़, (कुल संवितरण का 58 प्रतिशत), गैर योजनागत व्यय (₹46,284 करोड़ राजस्व, ₹304 करोड़ पूंजीगत और ₹69 करोड़ ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत) था ।

4.3.1 गैर योजनागत व्यय का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	44,356	46,597	53,677	79,394	79,781
गैर योजनागत व्यय	30,425	30,885	35,533	41,234	46,657
कुल व्यय से गैर योजनागत व्यय का प्रतिशत	69	66	66	52	58
सकल राज्य घरेलू उपाद से गैर योजनागत का प्रतिशत	9	8	8	8	9

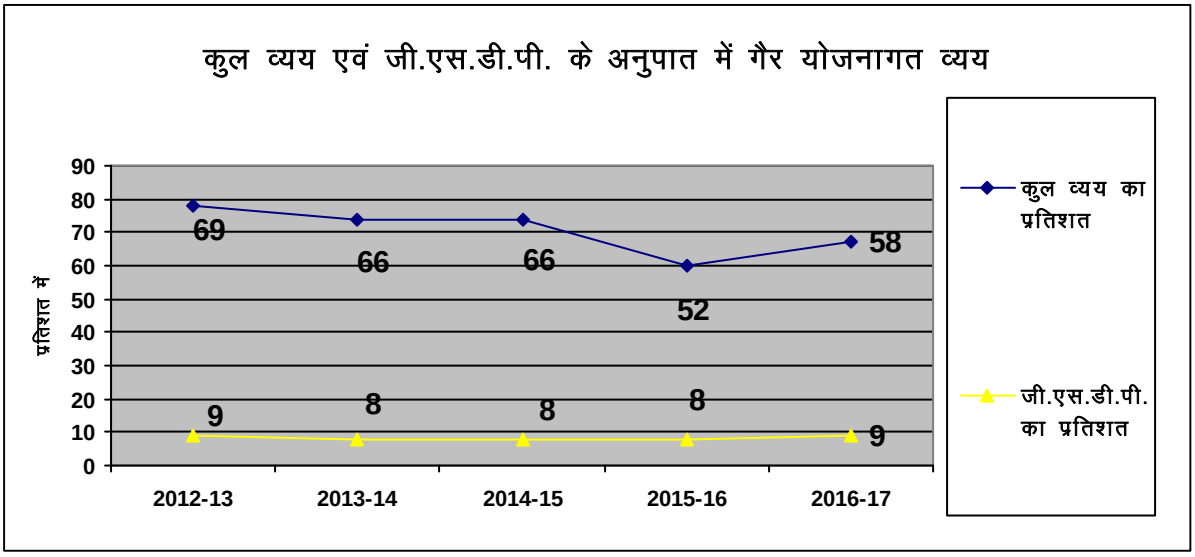

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रतिबद्ध व्यय *	19,650	21,326	25,289	28,229	32,511
राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति (अध्याय 2) से प्रतिशत	58	56	62	59	62
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	52	51	51	48	48

* ब्याज अदायगियां, पैंशन अदायगी व वेतन (केवल राजस्व व्यय) शामिल हैं।

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति, विकासात्मक व्यय के लिए सरकार के लचीलेपन को कम कर देती है ।

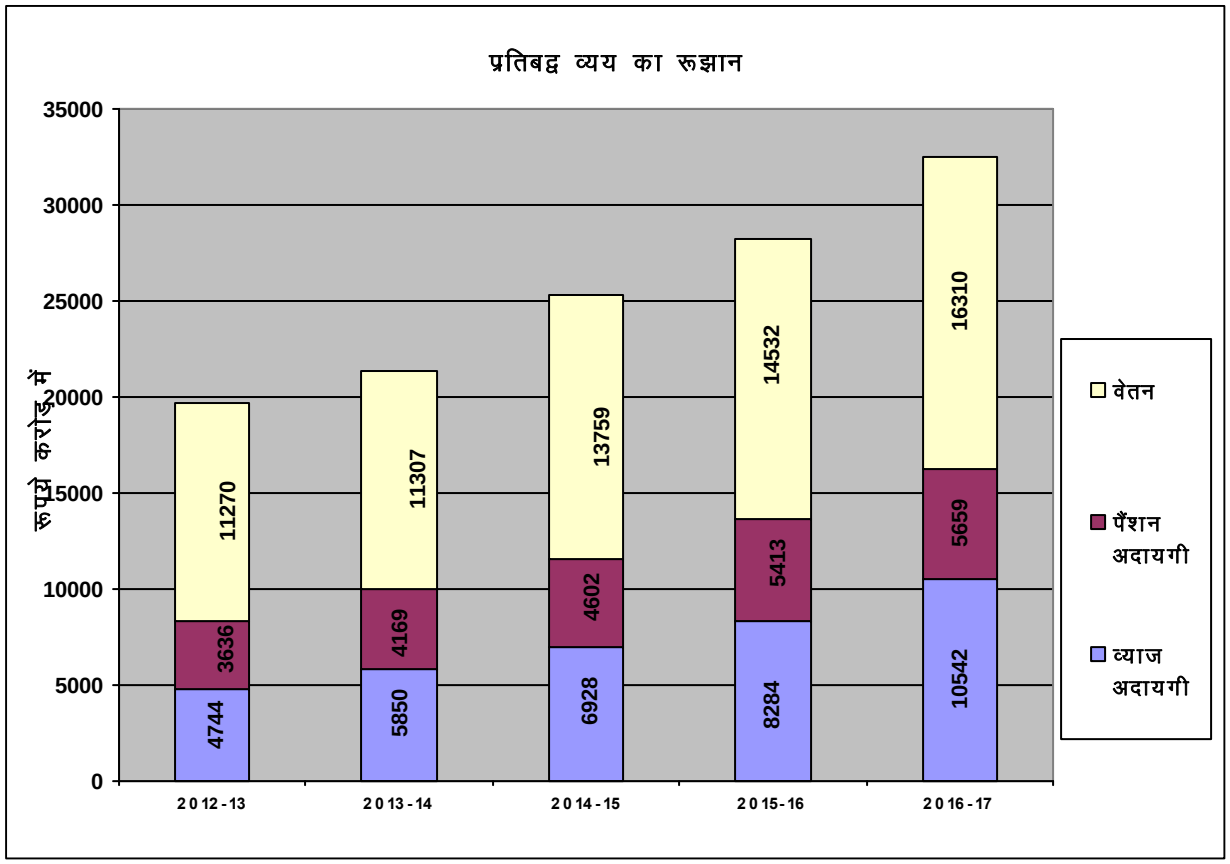

अध्याय 5 - विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2016-17 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	**राजस्व**					
	दत्तमत	65,019	3,605	68,624	58,049	(-) 10,575
	भारित	10,654	6	10,660	10,717	57
2	**पूंजीगत**					
	दत्तमत	18,612	173	18,785	14,384	(-) 4,401
	भारित	95	26	121	129	8
3	लोक ऋण					
	भारित	9,678	..	9,678	5,276	(-) 4,402
4	ऋण और अग्रिम दत्तमत	4,729	62	4,791	4,515	(-) 276
	कुल					
	दत्तमत	**88,360**	**3,840**	**92,200**	**76,948**	(-) **15,252**
	भारित	**20,427**	**32**	**20,459**	**16,122**	(-) **4,337**

5.2. पिछले 5 वर्षो के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2012-13	(-) 4,892	(-) 1,474	(-) 4,251	(-) 366	(-) 10,983
2013-14	(-) 7,031	(-) 4,495	(-) 5,027	(-) 314	(-) 16,867
2014-15	(-) 7,545	(-) 4,618	(-) 5,623	(-) 158	(-) 17,944
2015-16	(-) 9,318	(-) 3,496	(-) 2,821	(-) 444	(-) 16,079
2016-17	(-)10,518	(-) 4,393	(-) 4,402	(-) 276	(-) 19,589

5.3. अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुई अनुपूरक अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (दतमत्त)				
1	1-विधान सभा	69.72	66.12	3.60	1.96
2	3-सामान्य प्रशासन	244.23	235.37	8.86	12.93
3	5-आबकारी तथा कराधान	204.84	182.22	22.62	12.50
4	9-शिक्षा	12,865.22	10,340.86	2,524.36	912.00
5	10-तकनीकी शिक्षा	421.42	373.23	48.19	50.00
6	13-स्वास्थ्य	3,338.69	2,800.09	538.60	56.79
7	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	278.37	230.00	48.37	4.30
8	19-अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण	662.52	564.69	97.83	115.96
9	20- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,199.94	4,189.01	10.93	33.47
10	21-महिला तथा बाल विकास	1,096.79	747.91	348.88	20.00
11	29- मछली पालन	47.77	44.85	2.92	4.88
12	34- परिवहन	2,176.42	1,894.39	282.03	1.91
13	36- गृह	3,565.71	3,236.75	328.96	54.13
14	37-चुनाव	50.75	44.36	6.39	4.85
15	41- -इलैक्ट्रोनिक्स तथा सुचना प्रौद्यौगिकी	86.04	58.02	28.02	2.65
16	42-न्यायिक प्रशासन	495.38	458.99	36.39	16.79
17	43-जेल	218.86	199.76	19.10	7.35
	राजस्व (भारित)				
1	3-सामान्य प्रशासन	10.61	10.27	0.34	1.51
2	42-न्यायिक प्रशासन	114.09	106.62	7.47	2.43
	पूंजीगत (दतमत्त)				
1	8-भवन तथा सडकें	3,609.09	1,996.38	1,612.71	112.66
2	20- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.92	0.92	..	6.00
3	35-पर्यटन	66.81	36.45	30.36	5.27
4	38- लोक-स्वास्थ्य तथा जलपूर्ति	1,217.60	941.70	275.90	34.60
5	45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	4,729.39	4,514.91	214.48	61.96

17 अनुदान राजस्व (दत्तमत्त), 02 राजस्व (भारित) व 05 पूंजीगत (दत्तमत्त) से संबंधित है।

5.4. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ योजनाओं के कार्यक्रमों के गैर कार्यान्वयन अथवा धीमे कार्यान्वयन की ओर इंगित करता है ।

वर्ष 2016-17 के दौरान जिन अनुदानों में महत्वपूर्ण बचत दिखाई गयी, निम्न प्रकार है :

(प्रतिशत में)

अनुदान संख्या/ नाम	राजस्व		पूंजीगत		अनुदान संख्या / नाम	राजस्व		पूंजीगत	
	दतमत्त	भारित	दतमत्त	भारित		दतमत्त	भारित	दतमत्त	भारित
1-विधान सभा	..	25	..	..	23-खाद्य एवं पूर्ति	14	71	19	..
3-सामान्य प्रशासन	..	15	..	..	24-सिंचाई	27	..	..	..
4-राजस्व	13	..	..	..	25-उद्योग	62	100	60	..
5-आबकारी तथा कराधान	16	..	..	..	27-कृषि	43	69	..	..
7-आयोजना तथा सांख्यिकी	62	..	..	..	28-पशुपालन तथा डेयरी विकास	15	20	99	..
8-भवन तथा सडकें	11	100	46	..	29-मछली पालन	15	..	..	..
9-शिक्षा	25	..	100	..	30-वन तथा वन्य प्राणी	26	..	..	..
10-तकनीकी शिक्षा	21	..	..	..	31-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	19	..	..	..
11-खेलकूद तथा युवा कल्याण	25	..	..	..	32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	10	..	..	..
12-कला एवं संस्कृति	31	..	..	..	34-परिवहन	13	..	57	..
13-स्वास्थ्य	18	..	64	..	35-पर्यटन	15	..	49	..
14-नगर विकास	13	..	..	..	36-गृह	11	58	..	..
15-स्थानीय शासन	25	..	..	..	37-निर्वाचन	20	..	..	..
16-श्रम	20	..	100	..	38-लोक-स्वास्थ्य तथा जलपूर्ति	..	..	25	..
17-रोजगार	23	..	..	..	41-इलैक्ट्रोनिक्स तथा सुचना प्रौद्यौगिकी	35	..	..	..
18-औद्योगिक प्रशिक्षण	19	..	36	..	42-न्याय प्रशासन	10	..	..	..
19-अनुसूचित जातियाँ तथा पिछडे वर्गों का कल्याण	27	..	73	..	43-कारागार	12	..	..	..
20-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	..	87	..	44-मुद्रण तथा लेखन सामग्री	27	19	98	..
21-महिला तथा बाल विकास	33	..	34	..	लोक ऋण	..	..	..	45
22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	10	..	..	..					

अध्याय 6 - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष को छोड़कर) । इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शातें हैं, न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को । वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं ।

6.1.1 निवेश तथा लाभ

वर्ष 2016-17 के अंत तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 11,371 करोड़ था । वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 5.89 करोड़ (निवेश का 0.05 प्रतिशत) था । वर्ष 2016-17 में निवेश में ₹ 1,999 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 10.00 करोड़ की कमी हुई है । भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 31 मार्च 2016 को रोकड़ शेष (-) ₹ 733 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2017 के अंत तक बढ़ कर 427 करोड़ हो गया ।

6.1.2 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	427	(–) 733	1,160
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	2,555	4,173	(–) 1,618
निर्धारित निधि शेष से निवेश	2,674	2,775	(–) 101
(क) निक्षेप निधि	1,641	1,517	124
(ख) गारंटी मोचन निधि	953	843	110
(ग) अन्य निधियां	80	415	(–)335
ब्याज प्राप्तियां	161	186	(–)25

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को समेकित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है । राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा (*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल दायित्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2012-13	50,658	14	14,160	4	64,818	18
2013-14	60,294	16	15,969	4	76,263	20
2014-15	70,925	16	17,521	4	88,446	20
2015-16	1,01,709	21	19,009	4	1,20,718	25
2016-17	1,24,603	23	21,768	4	1,46,371	27

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।
नोटः वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं ।
वर्ष 2015-16 की तुलना में कुल दायित्वों में ₹ 25,653 करोड़ (21%) की निविल वृद्धि हुई है ।

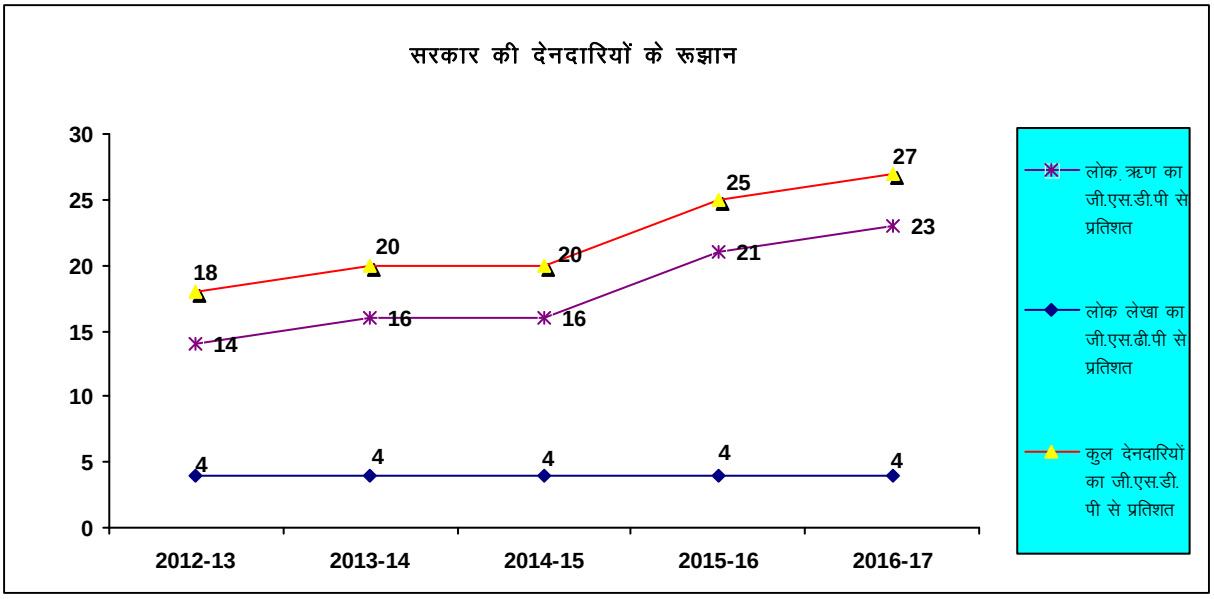

6.3. गारटिंयां

विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋण, पूंजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियॉ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। गारंटियों की स्थिति राज्य सरकार से सीधे प्राप्त हुई सूचना अनुसार है एवं नीचे दिखाई गई हैः-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकतम गारंटी राशि	वर्ष के अन्त तक राशि
2012-13	31,958	20,733
2013-14	38,376	27,306
2014-15	31,319	30,388
2015-16	34,974	16,876
2016-17	17,911	8,244

नोटः विस्तृत विवरण वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

अध्याय 7 - अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम

वर्ष 2016-17 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹21,036 करोड़ था । इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹20,984 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम दिये गये हैं । वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निजी चीनी मिलों को ₹65.14 करोड़, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ₹406.87 करोड एवं विद्युत वितरण कम्पिनयों को ₹3,589.59 करोड़ के ऋण जारी किए जिनके लिए नियम व शर्ते तय नहीं हुई थी।

सरकारी कर्मचारियों को दिये गए गृह निर्माण आग्रिम, वाहन आग्रिम, कम्पयूटर अग्रिम एवं विवाह ऋण के मामले में, राज्य सरकार द्वारा, अविकल्पि सरकारी गांरटी के अन्तर्गत, ऋण-पोर्टफोलियो, बैंक (पंजाब नैशनल बैंक) को स्थानान्तरित करने का निर्णय अध्यादेश संख्या 2/2/2004-डब्लयू एम. (3) दिनांक 4 नवम्बर 2016 के माध्यम से लिया गया। राज्य सरकार द्वारा ऐसे ऋण एवं आग्रिमों की लम्बित वसूली के बदले, बैंक से ₹623.00 करोड़ प्राप्त किए गए। भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा इन ऋण एवं आग्रिमों के विस्तृत लेखों के रख-रखाव को आपसी सहमत तिथि से बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि ₹51.80 करोड के ऋण एवं अग्रिम (उक्त अध्यादेश की तिथि से पूर्व की अवधि से संबंधित) का रख-रखाव अभी भी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा किया जा रहा है ।

7.2. स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक बीते 5 वर्षो में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹4,980 करोड़ से ₹12,647 करोड़ की वृद्धि हुई है । वर्ष के दौरान, जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं (₹3,850 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 30 प्रतिशत आबंटन किया गया है । बीते 5 वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	अन्य	कुल
2012-13	962	1,125	2,893	4,980
2013-14	38	1,137	4,437	5,612
2014-15	1,192	745	4,169	6,106
2015-16	1,262	1,046	8,458	10,766
2016-17	2,264	1,586	8,797	12,647

7.3 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को उनके रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान, प्रत्येक माह, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा दर्ज आकडों से कराना अपेक्षित है। समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का यह मिलान शत प्रतिशत किया जा चुका है।

7.4 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अन्तर्गत जहॉ सहायता अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिऍ जिसे जॉच उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि के बाद भी लंबित रहना यह सुनिश्चित करने में कठिनाई प्रस्तुत करता है कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं, जिसके लिए यह जारी किया गाया था एवं लेखों में दर्ज व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है-

वर्ष *	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(करोड़ में)
2014-15 तक	560	3208.97
2015-16	343	1,857.64
2016-17	976	3,996.00
जोड़	**1,879**	**9,062.61**

(*वर्णित वर्ष देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बधित है)

वर्ष 2016-17 तक, 75.52 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार विभागों :: ग्रामीण विकास (₹3,311.48 करोड़ के 987 उपयोगिता प्रमाण पत्र), शहरी विकास (₹4,209.66 करोड़ के 278 उपयोगिता प्रमाण पत्र), खेलकूद एवं युवक सेवाएं (₹44.29 करोड़ के 85 उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं सामान्य शिक्षा (₹785.97 करोड़ के 69 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से लम्बित थे । पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्रों का मूल्य एवं संख्या बढते क्रम को दिखाता है ।

7.5 सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन

धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नहीं होने पर उन्हें सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करके राशि आहरित करने की अनुमति है । विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता बिल(डी सी सी बिल) बाद में संबंधित प्रपत्रों के साथ एक माह के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करने होते हैं। डी सी सी बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बी अवधि तक न प्रस्तुत करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है। 31 मार्च 2017 को लम्बित सार आकस्मिक्ता बिलों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	लम्बित डी0सी0सी0 बिलो की संख्या	राशि(करोड़ में)
2014-15 तक	01	0.79
2015-16	40	4.96
2016-17	105	33.57
जोड़	**146**	**39.32**

वर्ष 2016-17 तक 87.67 प्रतिशत डी सी सी बिल, तीन विभागों : सामान्य शिक्षा विभाग (₹10.09 करोड़ के 111 डी सी सी बिल) सड़क परिवहन विभाग (₹14.19 करोड़ के 13 डी सी सी बिल) एवं चिकित्सा विभाग (₹9.82 करोड़ के 04 डी सी सी बिल) से लम्बित थे । पिछले तीन वर्षों के लम्बित डी सी सी बिलो की राशि एवं संख्या बढते क्रम को दिखाता है ।

7.6 वैयक्तिक जमा खाते

विशिष्ट प्रयोजनों हेतु समेकित निधि से धन हस्तान्तरण द्वारा सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । वैयक्तिक जमा खातों में धन का हस्तान्तरण समेकित निधि में संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के नीचे बिना नकदी प्रवाह के व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः यह खाते, अव्ययित शेष को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर राजकोष (समेकित निधि) में जमा करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक जमा खाते

आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते है । 31 मार्च 2017 को समेकित निधि से धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए वैयक्तिक खातों की संख्या शून्य थी। ऐसे वैयक्तिक जमा खाते जो समेकित निधि के अतिरिक्त धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए है, प्रत्येक वर्ष समीक्षा किए जाने चाहिए एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहने वाले खाते बन्द कर दिए जाने चाहिए तथा इन खातों मे पड़ी राशि को सरकारी खातों में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसे वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति निम्न

प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निकासी		अन्त शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
141	232.70	08	283.67	25	281.50	124	234.87

31 मार्च, 2017 को 124 वैयक्तिक जमा खातों में से 13 खातें (₹3.56 करोड़. राशि के) तीन वर्ष से अधिक अवधि से निष्क्रिय हैं एवं निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए बंद नहीं किए गए है ।

7.7 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति

वित्त लेखे 2016-17, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 22 कोषालयों, 113 लोक निर्माण मंडलों, 86 सिंचाई मंडलों एवं 57 वन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है । लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा नहीं छोड़ा गया है।

7.8 अपूर्ण लोक निमार्ण कार्यो की बचनबद्धता

31 मार्च, 2017 को प्रत्येक 5 करोड़ एवं उससे अधिक के 79 अपूर्ण लोक निमार्ण कार्य थे।

7.9 आरक्षित निधियॉ

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट परियोजनों हेतु कुल 10 आरक्षित निधियॉ मौजूद थी जिनमें से 9 निधियॉ प्रचलित एवं 1 निधि 6 वर्ष की अवधि से अप्रचलित थी। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

7.9.1 समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार द्वारा खुले बाजार कर्जो की अदायगी के लिए वर्ष 2002 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया । नियमानुसार, सरकार द्वारा पूर्व वर्ष के अन्त में खुले बाजार कर्जो के 1 से 3 प्रतिशत के बराबर निधि को अंशदान करना निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा हालांकि वर्ष के दौरान निधि को कोई अंशदान नहीं किया किया गया जिससे निधि को ₹658.21 करोड़ (31 मार्च, 2016 को लम्बित बाजार कर्जे ₹65,821.12 करोड़ का 1 प्रतिशत) कम अंशदान हुआ ।

31 मार्च, 2017 को समेकित निक्षेप निधि में ₹1,643.16 करोड़ शेष था जिस में से ₹1,641.03 करोड़ निवेशित है।

7.9.2 गारंटी मोचन निधि

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के प्रति दी गई गारंटियों के निर्वहन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2003 में गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया। निधि के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संग्रहित गारंटी फीस , वार्षिक एवं आवधिक अंशदान जो भी राज्य सरकार द्वारा अनुमान लगाया जाए, गारंटी मोचन निधि को हस्तान्तरित करनी होती है। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 के शुरू में सरकार की लम्बित गारंटियॉ ₹16,876.31 करोड. थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशा-निदेर्शो में पिछले वर्ष के अन्त में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 3 से 5 प्रतिशत के बराबर निधि कोष बनाने हेतु, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के शुरू में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 1 प्रतिशत एवं उसके बाद, प्रति वर्ष, पूर्व वर्ष में लम्बित गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर अंशदान करना कहा गया है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को ₹39.40 करोड़ अंशदान किया गया।

31 मार्च, 2017 को निधि में ₹9,52.88 करोड. (जो ₹16,876.31 करोड. लम्बित गारंटियों का 5.65 प्रतिशत है) का सारा शेष निवेशित है ।

7.9.3 राज्य आपदा राहत निधि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) से प्रतिस्थापित किया गया। निधि के दिशार्निदेशों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान देना होता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹357.75 करोड़ (केन्द्रीय भाग की वर्ष 2015-16 की बकाया दूसरी किश्त ₹115.50 करोड. एवं वर्ष 2016-17 की पहली एवं दूसरी किश्त के ₹242.25 करोड़) जारी किए गए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹357.75 करोड के विरूद्ध राज्य भाग ₹119.25 करोड बनता है। राज्य सरकार द्वारा ₹995.21 करोड (पिछले वर्षो के बकाया सहित) निधि को स्थानान्तरित किए गऐ। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों के पास बिना खर्च किऐ पडे ₹228.19 करोड एवं निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ₹20.84 करोड की राशि निधि में जमा की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग हरियाणा द्वारा ₹35.17 करोड का व्यय (₹28.05 करोड बजट के माध्यम से एवं ₹7.12 करोड सीधे एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत बचत खाते से चैक जारी करते हुए, बिना कोषालय के माध्यम से लाये) निधि से भरपाई करना सूचित किया गया । विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर समायोजन प्रविष्टियां प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं

हकदारी) के कार्यालय में दर्ज की गई। 31 मार्च 2017 को निधि में ₹1,621.65 करोड शेष थे जिसमें से राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा सूचना के अनुसार ₹77.43 करोड निवेशित थे।

7.9.4 खान एवं खनिज विकास, पुर्नउत्थान एवं पुर्नस्थापन निधि

राज्य के, खनन क्षेत्र में खनन स्थलों के पर्यावरण संरक्षण, समेकित उत्थान, परिरक्षण, पुर्नत्थान एवं पुर्नस्थापन तथा क्षेत्र में जैव एवं पर्यावरण संरक्षण/परिरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिऐ हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, निधि की स्थापना की गई। निधि, 'बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां' के अन्तर्गत खोली गई है हालांकि यह 6 प्रतिशत ब्याज वाली निधि है।

निधि के संविधान के अनुसार खनिज रियायत प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर 'अन्य प्रभार' के रूप में वसूल किए जाने है तथा पुर्नत्थान एवं पर्नुस्थापना कार्यो हेतु निधि में जमा किए जाने है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष के दौरान डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की मद में प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर सरकारी अंशदान को भी निधि में जमा/स्थानांतरित किया जाना है ।

1 अप्रैल 2016 को निधि में ₹14.49 करोड शेष था। राज्य सरकार को वर्ष में डैड किराया/राज्याधिकार/ संविदा मूल्य की मद पर ₹74.16 करोड एवं 'अन्य प्रभार' के रूप में ₹9.03 करोड रियायत प्राप्त कर्ताओं से प्राप्त हुए।

₹12.74 करोड की राशि (रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान ₹9.03 करोड जमा राज्य भाग ₹3.71 करोड, जो कि डैड किराया इत्यादि ₹74.16 करोड का 5 प्रतिशत है) निधि को स्थानान्तरित की जानी थी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा, वर्ष के दौरान केवल ₹12.55 करोड (बिना राज्य अंशदान एवं रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान स्पष्ट किऐ) निधि को स्थानान्तरित किऐ गऐ जिससे निधि को ₹0.19 करोड कम अंशदान मिला। रियायत प्राप्त कर्ताओं से निधि को अंशदान के रूप में प्राप्त ₹27.98 करोड की राशि राज्य की समेकित निधि में लाऐ बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधानों की अवेहलना करते हुऐ सीधे निधि में जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि से कोई राशि खर्च नही की गई। 31 मार्च 2017 को निधि में ₹55.02 करोड शेष था। राज्य सरकार द्वारा, निधि में वर्ष की शुरूआत में शेष पर देय ब्याज ₹0.87 करोड का समायोजन नही किया गया।

लेखों में डैड किराया इत्यादि एवं रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान तथा निधि में राज्य के हस्तान्तरण का कोई मिलान नही है।

7.10 नई पेंशन स्कीम

31 दिसम्बर, 2005 अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर, वर्ष के दौरान व्यय ₹5,281.30 करोड (कुल राजस्व व्यय का 7.72 प्रतिशत) था । 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन स्कीम जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, के पात्र हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन व महगांई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, उतना ही अंशदान राज्य सरकार करती है एवं सारी राशि, नियुक्त निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) /अमानती बैंक के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार द्वारा तुलनात्मक अंशदान का वर्ष दर वर्ष अनुमान नहीं लगाया गया है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी अंशदान के ₹382.15 करोड एवं सरकार के अंशदान के ₹378.04 करोड के प्रति एन0एस0डी0एल0/ अमानती बैंक को ₹729.70 करोड़ जमा कराये गए। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम में ₹4.11 करोड. का कम अंशदान उसी हद तक राजस्व व्यय कम दिखाता है । लेखा शीर्ष 8342- अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों की परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को ₹49.92 करोड. शेष थे ।

नई पेंशन योजना पर लम्बित ब्याज का आकलन शुरूआत से ही नहीं किया गया है। कर्मचारी अंशदान एवं सरकारी अंशदान के अंतर का मिलान नहीं किया गया है जिससे अप्राप्त, असमान एवं अहस्तान्तरित राशि, ब्याज सहित लम्बित उत्तरदायित्व है ।

7.11 उचन्त तथा प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षो के अन्तर्गत, लम्बित शेषों को विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामें एवं जमा शेषों को जोड़तें हुए निकाला जाता है। पिछले तीन वर्षो के दौरान मुख्य उचन्त मदों को सकल नामें एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:

(क) 8658 उचन्त लेखा					(₹ करोड़ में)	
लघु शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101- पी0ए0ओ0 उचन्त	16.23	0.08	17.27	0.08	25.25	0.01
निवल	**16.15 (नामे)**		**17.19 (नामे)**		**25.24 (नामे)**	
102-उचंत लेखा (सिविल)	90.30	0.30	43.45	(-) 2.96	27.29	0.30
निवल	**90.00 (नामे)**		**46.41 (नामे)**		**26.99 (नामे)**	
107- नकद समायोजन उचन्त	161.53	37.65	172.18	39.62	200.83	48.73
निवल	**123.88 (नामे)**		**132.56 (नामे)**		**152.10 (नामे)**	
109-आर0बी0एस0 (मुख्यालय)	(-) 1.73	6.66	3.70	0.36	3.83	11.21
निवल	**8.39 (जमा)**		**3.34 (नामे)**		**7.38 (जमा)**	
110-आर0बी0एस0 सी0ए0ओ0	2.99	4.30	4.64	4.31	2.07	4.30
निवल	**1.31 (जमा)**		**0.33 (नामे)**		**2.23 (जमा)**	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	..	25.60	..	23.23	..	134.87
निवल	**25.60 (जमा)**		**23.23 (जमा)**		**134.87 (जमा)**	
(ख) 8782-एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
102-लोक निर्माण प्रेषण	124.52	278.69	155.48	290.90	88.00	284.00
निवल	**154.17 (जमा)**		**135.42 (जमा)**		**196.00 (जमा)**	
103-वन प्रेषण	4.53	4.91	2.47	3.90	(-) 0.61	2.52
निवल	**0.38 (जमा)**		**1.43 (जमा)**		**3.13 (जमा)**	

7.12 व्यय की हड़बडी

विवेकशील वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के अंतिम समय में व्यय से बचा जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा व्यय की हडबडी रोकने के दिशा निर्देश जारी किए गए परन्तु, ₹12,245.53 करोड़ का व्यय, जो कि वर्ष के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अन्तर्गत कुल व्यय ₹75,266.53

करोड़ का लगभाग 16.27 प्रतिशत है, मार्च, 2017 में किया गया। लेखा शीर्ष जहां मार्च, 2017 के दौरान व्यय, वर्ष के दौरान व्यय का 45 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण निम्न प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2017 के दौरान व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2810	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्त्रोत	13.51	9.94	74
2	2853	अलोह धातु खनन और धातु कर्मीय उद्योग	24.29	14.31	59
3	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	163.81	81.01	49
4	3456	सार्वजनिक आपूर्ति	149.39	147.30	99
5	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	92.77	59.37	64

7.13 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों के पुर्नउद्धार पैकेज के मद्देनजर, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉमस का ₹8,650.00 करोड़ का ऋण भार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रतिभागी ऋण देने वाले बैंकों को बाँडस जारी करते हुए अपने उपर लिया गया । वितरण कम्पनियों को वित्तीय पैकेज का विवरण निम्न प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	सहायता की प्रकृति	2016-17 के दौरान	प्रगामी
1	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को सहायतानुदान	2,170.31	4,549.68
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को सहायतानुदान	1,380.19	2,893.32
3	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि, को सहायतानुदान	342.00	342.00
4	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को शेयर पूंजी	793.13	1,586.25
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को शेयर पूंजी	504.37	1,008.75
6	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को ऋण	1,801.41	9,203.90
7	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि, को ऋण	1,145.59	5,853.10
8	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम निगम लि, को ऋण	513.00	513.00
	कुल	**8,650.00**	**25,950.00**

*****

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2017

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in